NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-11-2026

विषय सूची

बर्लिन सम्मेलन (1884–85) और अफ्रीका का विभाजन

23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

वन अधिकार अधिनियम, 2006

महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य एवं महिला श्रम बल भागीदारी

संक्षिप्त समाचार

पुष्कर मेला

नृत्य करती बालिका की प्रतिमा का युगे युगेन भारत संग्रहालय में स्थानांतरण

मैत्री सेतु यात्रा

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह में वृद्धि

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

बर्लिन सम्मेलन (1884–85) और अफ्रीका का विभाजन

संदर्भ

- 15 नवंबर, 1884 को जर्मनी के चांसलर (प्रधानमंत्री) ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में बर्लिन पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य अफ्रीका में यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार को विनियमित करना था।

पृष्ठभूमि

- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका के क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधनों, व्यापारिक मार्गों और सामरिक महत्त्व वाले स्थानों पर अधिकार स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई थी।
- बर्लिन पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन 15 नवंबर, 1884 से 26 फरवरी, 1885 तक आयोजित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **बर्लिन का सामान्य अधिनियम**, 1885 स्वीकार किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियों ने भाग लिया, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे।
  - सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रिया-हंगरी, स्वीडन-नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, तुर्की और रूस शामिल थे।
  - इस सम्मेलन में किसी भी अफ्रीकी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था।

सम्मेलन आयोजित करने के प्रमुख कारण

- **बढ़ती औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता** : अफ्रीका में क्षेत्रीय एवं व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और बेल्जियम के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई थी।
- **कांगो नदी विवाद** : 1883 के एक आंग्ल-पुर्तगाली समझौते के माध्यम से कांगो नदी के मुहाने पर पुर्तगाल के नियंत्रण को मान्यता देने का प्रयास किया गया। इससे अन्य यूरोपीय व्यापारियों की पहुँच प्रतिबंधित होने की आशंका उत्पन्न हुई।
- **लियोपोल्ड द्वितीय का विस्तार** : बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो की अंतरराष्ट्रीय संस्था (AIC) के माध्यम से कांगो बेसिन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे अन्य यूरोपीय शक्तियों में चिंता उत्पन्न हुई।
- **वाणिज्यिक हित** : यूरोपीय देश अफ्रीका के कच्चे माल, बाजारों, जलमार्गों और सामरिक व्यापारिक मार्गों तक पहुँच स्थापित करना चाहते थे।

बर्लिन सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **कांगो पर दावों की मान्यता** : राजा लियोपोल्ड द्वितीय की कांगो अंतरराष्ट्रीय संस्था के क्षेत्रीय दावों को मान्यता प्रदान की गई। इससे उनके व्यक्तिगत शासन के अधीन कांगो मुक्त राज्य की स्थापना का आधार तैयार हुआ।
- **प्रभावी अधिग्रहण का सिद्धांत** : अफ्रीका में किसी तटीय क्षेत्र पर दावा करने वाली शक्ति के लिए अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों को इसकी सूचना देना तथा वर्तमान अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। साथ ही, जहाँ लागू हो, वहाँ मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई।
- **कांगो बेसिन में मुक्त व्यापार** : कांगो बेसिन में व्यापार की स्वतंत्रता तथा वाणिज्यिक गतिविधियों तक निर्बाध पहुँच का प्रावधान किया गया।
  - अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को सुगम बनाने के लिए कांगो और नाइजर नदियों में नौवहन की स्वतंत्रता की भी गारंटी दी गई।
- **दास प्रथा एवं दास व्यापार का उन्मूलन** : सम्मेलन में भाग लेने वाली शक्तियों ने अफ्रीका में दास प्रथा और दास व्यापार को समाप्त करने के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **मूलनिवासी जनसंख्या का संरक्षण** : स्थानीय जनसंख्या के संरक्षण तथा उनके नैतिक एवं भौतिक कल्याण को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। हालाँकि, इन प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

क्या बर्लिन सम्मेलन ने वास्तव में अफ्रीका का विभाजन किया था?

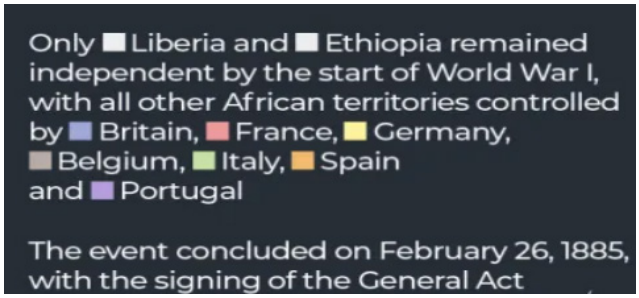
- **क्षेत्रीय विस्तार के लिए नियमों की स्थापना** : प्रभावी अधिग्रहण के सिद्धांत ने यूरोपीय शक्तियों को उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं सैन्य उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन पर वे अपना अधिकार जताना चाहती थीं।
  - इसने यूरोपीय शक्तियों को अपने क्षेत्रीय दावों को वैध ठहराने तथा परस्पर विरोधी औपनिवेशिक हितों का समाधान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की।
- **अफ्रीका के लिए औपनिवेशिक होड़ में तीव्रता** : अपने क्षेत्रीय दावों को सुदृढ़ करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने सम्मेलन से पहले और उसके पश्चात अफ्रीका में अपने क्षेत्रीय विस्तार को तेज कर दिया।
  - जर्मनी ने 1884 में टोगोलैंड और कैमरून पर संरक्षित राज्य स्थापित किए, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया।

- **औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का संस्थागतकरण** : इस सम्मेलन ने औपनिवेशिक विस्तार को यूरोपीय शक्तियों के बीच समझौतों द्वारा संचालित एक अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया।
  - इसने यूरोपीय देशों को आपसी प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष से बचते हुए अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का प्रबंधन करने में सहायता प्रदान की।

अफ्रीका के लिए प्रतिस्पर्धा

- **अर्थ**: अफ्रीका के क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा तीव्र गति से अधिकार स्थापित करने एवं उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को अफ्रीका के लिए प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से 1880 से 1914 के बीच हुई।
- **सम्मेलन से पूर्व** (1880): यूरोपीय औपनिवेशिक अधिकार मुख्यतः अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों तथा कुछ चुनिंदा भूभागों तक सीमित थे।
  - इनमें अल्जीरिया, सेनेगल, गोल्ड कोस्ट, अंगोला और मोज़ाम्बिक जैसे क्षेत्र शामिल थे।
- **सम्मेलन के बाद** (1914): लगभग संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप यूरोपीय औपनिवेशिक नियंत्रण के अधीन आ गया था।
  - इथियोपिया और लाइबेरिया ऐसे देश थे, जो अधिकांशतः स्वतंत्र बने रहे।
- **प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ** :
  - ब्रिटेन
  - फ्रांस
  - जर्मनी
  - बेल्जियम
  - पुर्तगाल
  - इटली





अफ्रीका के विभाजन के परिणाम

- **कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण** : औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा निर्धारित सीमाओं ने विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समुदायों को विभाजित कर दिया तथा ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग समुदायों को एक ही राजनीतिक इकाई में शामिल कर दिया।
  - इस प्रक्रिया ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजनीतिक तनावों और संघर्षों में योगदान दिया।
- **आर्थिक शोषण** : यूरोपीय शक्तियों ने अपने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए अफ्रीका से खनिजों, कृषि उत्पादों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया।
- **राजनीतिक अधीनता** : पारंपरिक अफ्रीकी राज्यों, राजतंत्रों और राजनीतिक संस्थाओं को कमजोर या समाप्त कर दिया गया।
  - इनके स्थान पर औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ स्थापित की गईं।

निष्कर्ष

- बर्लिन सम्मेलन ने कानूनी रूप से अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में विभाजित नहीं किया और न ही विशिष्ट क्षेत्रों को अलग-अलग यूरोपीय देशों के बीच औपचारिक रूप से बाँटा। हालाँकि, इसने बाद में अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन की प्रक्रिया को व्यापक रूप से गति प्रदान की।
- यह सम्मेलन औपनिवेशिक व्यवस्था का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो वाणिज्यिक हितों, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा मूलनिवासी जनसंख्या के अधिकारों और संप्रभुता से संबंधित निर्णयों में उनकी पूर्ण उपेक्षा पर आधारित थी।

स्रोत: IE

23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में "**हमारा भविष्य, हमारी साझा दिशा**" विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **आपदा प्रबंधन** : आपदा प्रबंधन में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आसियान-भारत आपदा प्रबंधन सहयोग संबंधी संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया।
  - इसके अंतर्गत पूर्व चेतावनी प्रणालियों, उपग्रह-आधारित आँकड़ों के आदान-प्रदान, आपदा की तैयारी तथा मानवीय सहायता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।
- **साइबर सुरक्षा**: क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया।
- **परमाणु ऊर्जा** : परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आसियान-भारत तकनीकी आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया गया।
- **अंतरिक्ष सहयोग** : अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया।
- **समुद्री सहयोग** : वर्ष 2026 को **आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष** के रूप में मनाया जा रहा है।
- **पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग** : भारत आने वाले आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।
  - WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन

- **परिचय**: आसियान एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- **इतिहास** : इसकी स्थापना वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान घोषणा-पत्र , जिसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
  - इसके संस्थापक सदस्य पाँच देश थे:
  - इंडोनेशिया
  - मलेशिया
  - फिलीपींस
  - सिंगापुर
  - थाईलैंड
  - ब्रुनेई दारुस्सलाम वर्ष 1984 में आसियान में शामिल हुआ।
  - इसके बाद वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस और म्यांमार वर्ष 1997 में तथा कंबोडिया वर्ष 1999 में इसमें शामिल हुए।
  - तिमोर-लेस्ते वर्ष 2025 में इस संगठन में शामिल हुआ, जिससे आसियान के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई।
- **आसियान शिखर सम्मेलन**: यह आसियान का सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं।
  - इसका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।
  - प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 1976 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित हुआ था।

भारत-आसियान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **आधार** : भारत ने वर्ष 1992 में क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में आसियान के साथ औपचारिक रूप से संबंध स्थापित किए।
- **साझेदारी के प्रमुख पड़ाव**:
  - 1996: भारत को पूर्ण संवाद साझेदार का दर्जा प्रदान किया गया।
  - 2002: भारत-आसियान साझेदारी को शिखर सम्मेलन स्तर तक उन्नत किया गया। पहला आसियान-भारत शिखर सम्मेलन कंबोडिया में आयोजित हुआ।
  - 2012: भारत-आसियान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया गया।
  - 2022: भारत-आसियान संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर तक उन्नत किया गया।
- **नीतिगत ढाँचा** : 1990 के दशक में प्रारंभ की गई भारत की '**लुक ईस्ट नीति**' को वर्ष 2014 में '**एक्ट ईस्ट नीति**' में परिवर्तित किया गया।
  - इसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय एवं परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना है।
- **व्यापार एवं निवेश** : भारत और आसियान ने वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश को शामिल करने वाले समझौतों के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है।
  - आसियान भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10.55% रही।
  - वित्त वर्ष 2025–26 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 128.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 120.9 अरब अमेरिकी डॉलर था।

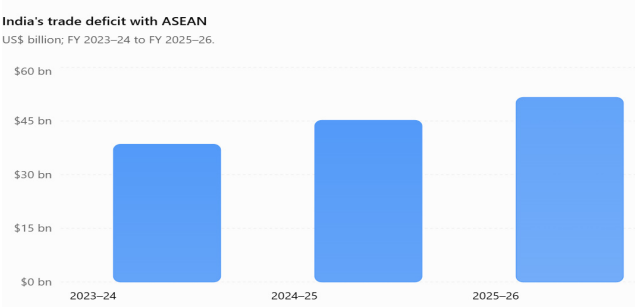
- **वित्त वर्ष** 2025–26 **में व्यापार की संरचना** :
  - आसियान को भारत का निर्यात: 38.4 अरब अमेरिकी डॉलर।
  - आसियान से भारत का आयात: 90 अरब अमेरिकी डॉलर।
- वर्ष 2000 से 2025 के दौरान आसियान देशों से भारत में कुल संचयी निवेश लगभग 196.96 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **क्षेत्रीय संपर्क** : भारत, आसियान देशों के साथ संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।
- प्रमुख परियोजनाएँ:
  - भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
  - कलादान बहु-माध्यमीय पारगमन परिवहन परियोजना।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**: संयुक्त सैन्य अभ्यासों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों में भागीदारी के माध्यम से भारत और आसियान के बीच रक्षा संबंध सुदृढ़ हुए हैं।
  - प्रमुख पहलें:
  - आसियान-भारत समुद्री अभ्यास।
  - आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस में भागीदारी।

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **सामरिक महत्त्व** : आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण में केंद्रीय स्थान रखता है।
  - यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी एवं रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **आर्थिक सहयोग** : आसियान भारत का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है।
  - यह व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।
- **समुद्री सुरक्षा** : नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा तथा सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आसियान के साथ सहयोग आवश्यक है।
  - इसमें विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- **संपर्क व्यवस्था** : भारत क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भौतिक, डिजिटल एवं समुद्री संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है।
- **सभ्यतागत संबंध** : ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बौद्ध धर्म तथा साझा समुद्री परंपराएँ भारत-आसियान संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

भारत-आसियान संबंधों की चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन** : आसियान के साथ भारत के व्यापार में लगातार बढ़ता व्यापार घाटा तथा बाजार तक पहुँच से संबंधित बाधाएँ प्रमुख चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **संपर्क संबंधी बाधाएँ** : क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी ने भारत और आसियान के बीच गहरे क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।



- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता**: दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- **म्यांमार संकट** : म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता ने क्षेत्रीय संपर्क, सीमा प्रबंधन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया है।

आगे की राह

- भारत को आसियान के साथ व्यापारिक एकीकरण को सुदृढ़ करने, संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने, समुद्री सहयोग बढ़ाने तथा जन-से-जन संबंधों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय साझेदारी को अधिक सुदृढ़ एवं लचीला बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- एक सुदृढ़ भारत-आसियान साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने तथा शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्रोत: AIR

वन अधिकार अधिनियम, 2006

संदर्भ

- जनजातीय गौरव पखवाड़ा के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत दावों की प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

पृष्ठभूमि

- पीढ़ियों से वनवासी समुदाय जंगलों में निवास करते आए हैं तथा अपने आवास और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं।
  - हालाँकि, औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के वनों के एकीकरण एवं अधिसूचनाकरण के दौरान उनके भूमि अधिकारों का उचित अभिलेखीकरण नहीं किया गया।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को इन ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा उनकी उपेक्षा के कारण उत्पन्न अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम**, 2006 वनवासी अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFDs) के वन भूमि पर ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
  - इस अधिनियम को 29 दिसंबर, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 31 दिसंबर, 2007 से प्रभावी हुआ।
  - यह अधिनियम वन भूमि पर इन समुदायों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकारों को अधिकार-पत्रों (Titles) के माध्यम से कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अधिकार-पत्र ऐसे आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनमें वन अधिकारों का अभिलेखीकरण किया जाता है।
- **अधिनियम के उद्देश्य** : उन वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करना, जिनका पूर्व में अभिलेखीकरण नहीं किया जा सका था।
  - वनवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी भूमि पर सुरक्षित अधिकार , आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
  - वन अधिकार धारकों को वनों के सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करके वन संरक्षण को सुदृढ़ करना।
- यह अधिनियम ग्राम सभा तथा वन अधिकार धारकों को जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। इसके साथ ही, उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्यों को रोकने का दायित्व भी प्रदान करता है, जो इन संसाधनों अथवा जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करते हैं।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे जनजातीय जनसंख्या को स्थानीय नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

वन अधिकार-पत्र क्या है?

- अधिकार-पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें वन अधिकार का अभिलेखीकरण किया जाता है।
- इसमें यह उल्लेख होता है कि अधिकार किस व्यक्ति अथवा समुदाय के पास है, वह किस गाँव में स्थित है तथा किस भूमि या वन क्षेत्र पर उसका अधिकार है। साथ ही, संबंधित भूमि की सीमाओं का भी उल्लेख किया जाता है।
- राज्य सरकार की ओर से तीन जिला स्तरीय अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते हैं:
  - प्रभागीय वन अधिकारी (DFO)।
  - जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी ।
  - जिला कलेक्टर ।
- अधिकार धारक को इसकी प्रमाणित प्रति प्रदान की जाती है। सामुदायिक अधिकार-पत्र की स्थिति में इसकी प्रति ग्राम सभा (ग्राम की सभा) को दी जाती है।
- अधिकार-पत्र धारक के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो सकता है, लेकिन इसे बेचा या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

अधिनियम के अंतर्गत पात्रता एवं क्षेत्राधिकार

- **यह अधिनियम मुख्य रूप से दो श्रेणियों को सम्मिलित करता है**:
  - **वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ** (FDSTs): अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य, जो मुख्य रूप से वनों अथवा वन भूमि में निवास करते हैं तथा अपनी वास्तविक आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं।
  - **अन्य परंपरागत वन निवासी** (OTFDs): ऐसे व्यक्ति अथवा समुदाय, जो 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्षों) से मुख्य रूप से वनों में निवास करते आए हों तथा आजीविका के लिए उन पर निर्भर रहे हों।
- **भूमि अधिकार की सीमा**: आवास अथवा कृषि के लिए धारित भूमि के मामले में अधिकार केवल वास्तव में नियन्त्रण में रखे गए क्षेत्र तक सीमित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।
- **अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार**: यह अधिनियम विभिन्न प्रकार की वन भूमियों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

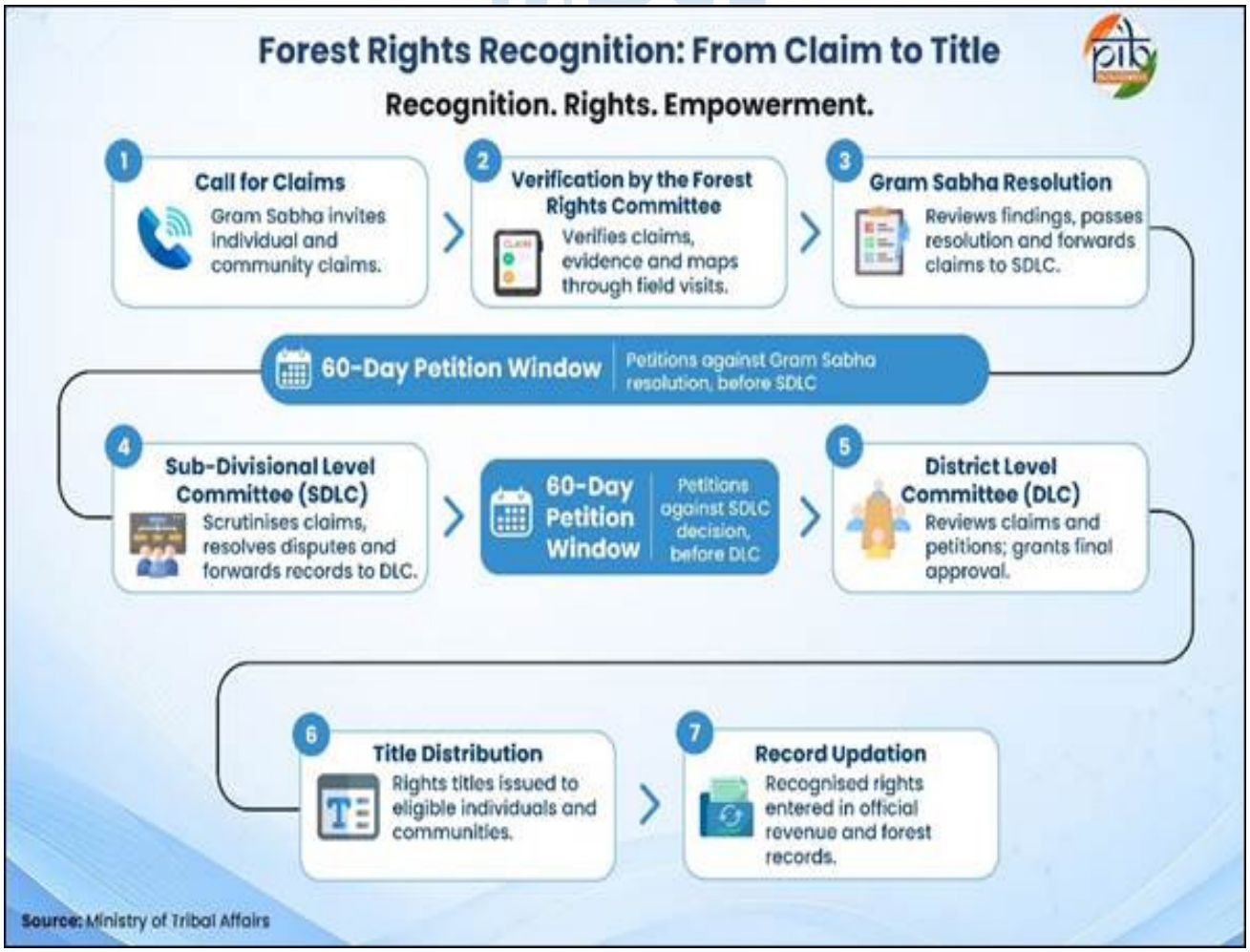
- आरक्षित वन।
- संरक्षित वन।
- वन्यजीव अभयारण्य।
- राष्ट्रीय उद्यान।

- **सरकारी सुविधाओं के लिए वन भूमि का उपयोग**: विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पेयजल सुविधाओं तथा सड़कों जैसी निर्दिष्ट सरकारी सुविधाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति कुछ वैधानिक शर्तों के अधीन दी गई है।
  - इसके लिए ग्राम सभा की अनुशंसा तथा अधिकतम एक हेक्टेयर की सीमा सहित निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों के प्रकार

- **व्यक्तिगत वन अधिकार**: यह अधिकार वन भूमि पर आवास अथवा स्व-कृषि के लिए नियन्त्रण रखने वाले व्यक्तियों या परिवारों को प्रदान किया जाता है।
  - इसके अंतर्गत अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि की सीमा निर्धारित है।
- **सामुदायिक वन अधिकार** (CFRs): यह वनवासी समुदायों को उन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका वे परंपरागत रूप से उपयोग करते आए हैं।
  - इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:
  - चरागाह क्षेत्रों पर अधिकार।
  - मछली पकड़ने के क्षेत्रों पर अधिकार।
  - जल निकायों पर अधिकार।
  - लघु वनोपज पर अधिकार।
- **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार** : यह ग्राम सभाओं एवं वनवासी समुदायों को उनकी परंपरागत सीमाओं के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन, संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।
- **पर्यावास अधिकार** : यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के परंपरागत पर्यावास एवं आजीविका संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

वन अधिकारों की मान्यता के लिए संस्थागत तंत्र



वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

- **सामुदायिक अधिकारों की कमजोर मान्यता** : अधिनियम का क्रियान्वयन मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकार-पत्रों के वितरण पर केंद्रित रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिला है।
- **संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के साथ टकराव** : वन संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों, खनन तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित भूमि पर एक-दूसरे से अतिव्यापी दावों के कारण वैधानिक अधिकारों और प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग संबंधी प्राथमिकताओं के बीच तनाव उत्पन्न होता है।
- **जागरूकता एवं क्षमता की कमी**: अनेक वनवासी समुदायों को अपने अधिकारों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

आगे की राह

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासी समुदायों को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने की पारंपरिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन्हें अधिकार धारकों तथा वन संरक्षण में सक्रिय भागीदार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल व्यक्तिगत अधिकार-पत्रों के वितरण तक सीमित रहने के बजाय सामुदायिक अधिकारों को सुदृढ़ करने, सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करने तथा सहभागी वन शासन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
- वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सतत वन संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्रोत: PIB

महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य एवं महिला श्रम बल भागीदारी

संदर्भ

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), जनवरी 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में व्यापक संशोधन कर रहा है, ताकि अवैतनिक घरेलू कार्य एवं देखभाल संबंधी कार्यों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ASUSE 2027–28 में प्रथम बार महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएँगे।

महिला श्रम बल भागीदारी के बारे में

- **अर्थ**: 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की उन महिलाओं का अनुपात, जो वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा रोजगार की खोज कर रही हैं, महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) कहलाता है।
- **बढ़ती भागीदारी, लेकिन अभी भी निम्न स्तर** : सामान्य स्थिति के आधार पर वार्षिक महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 30% (2019–20) से बढ़कर 40% (2025) हो गई है।
  - इस वृद्धि में मुख्य योगदान ग्रामीण महिलाओं का रहा है।
  - पुरुष श्रम बल भागीदारी दर लगभग 79% है।
- **प्रमुख बाधा**: PLFS 2025 के अनुसार, श्रम बल से बाहर रहने वाली 44.4% महिलाओं ने बाल देखभाल अथवा घरेलू कार्यों को इसका प्रमुख कारण बताया।
  - इसके विपरीत, अधिकांश पुरुषों ने शिक्षा को श्रम बल से बाहर रहने का प्रमुख कारण बताया।
- **आर्थिक विकास की अनिवार्यता** : विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाकर 50% से अधिक करना आवश्यक है।

सर्वेक्षण में प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा?

- 1. **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण** (PLFS): **जनवरी 2027 से**: 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएँगे:
  - स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन।
  - अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्य।
  - स्वैच्छिक कार्य।
  - अवैतनिक प्रशिक्षु कार्य।
- **विकल्प या बाध्यता** : प्राप्त आँकड़ों से यह समझने में सहायता मिलेगी कि महिलाएँ सवेतन रोजगार से बाहर अपनी इच्छा, सामाजिक मान्यताओं अथवा देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रहती हैं।
- **असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण** (ASUSE): **अप्रैल 2027 से**: प्रथम बार महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली लैंगिक विशिष्ट बाधाओं से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएँगे।वर्तमान में लगभग 75% महिला उद्यमी पहले से ही घर से कार्य करती हैं।
- **प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक** : गिग एवं प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों को बेहतर ढंग से दर्ज करने के लिए एक अलग नमूना श्रेणी शामिल की जाएगी।

अवैतनिक देखभाल कार्य का महत्त्व क्यों है?

- **समय का अभाव** : घरेलू कार्यों में संलग्न महिलाएँ प्रतिदिन लगभग पाँच घंटे घरेलू कार्यों पर व्यतीत करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय देखभाल संबंधी गतिविधियों में लगाती हैं।
- **अदृश्य आर्थिक मूल्य** : अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बावजूद, ये कार्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता एवं सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- **मातृत्व दंड** : अनेक महिलाएँ विवाह अथवा संतान के जन्म के बाद रोजगार छोड़ देती हैं और उनमें से बहुत कम महिलाएँ दोबारा रोजगार में वापस आ पाती हैं।
- **विवशताजन्य कार्य** : ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी में हुई वृद्धि का एक हिस्सा कम वेतन वाले अथवा अवैतनिक पारिवारिक कार्यों के कारण है, न कि बेहतर रोजगार अवसरों के कारण।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **बाल देखभाल सुविधाओं की कमी** : वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में ही शिशु देखभाल केंद्र की व्यवस्था अनिवार्य है।अधिकांश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहाँ ऐसी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- **सुरक्षा एवं आवागमन संबंधी बाधाएँ** : असुरक्षित परिवहन सुविधाएँ तथा लंबी दूरी की यात्रा शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को सीमित करती हैं। शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर लगभग 26% है।
- **सामाजिक मान्यताएँ** : घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्यों को मुख्यतः महिलाओं का दायित्व माना जाता है। घरेलू कार्यों में पुरुषों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।
- **रोजगार की गुणवत्ता** : महिलाएँ मुख्यतः कृषि, घर-आधारित कार्यों तथा कम वेतन वाली सेवा गतिविधियों में केंद्रित हैं।
- **मापन संबंधी कमियाँ** : महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर-आधारित कार्यों एवं पारिवारिक कार्यों को प्रायः केवल 'घरेलू कार्यों' के रूप में दर्ज किया जाता है। इसके कारण उनके वास्तविक आर्थिक योगदान का उचित आकलन नहीं हो पाता।

देखभाल अर्थव्यवस्था: राज्य की जिम्मेदारी या परिवार की

देखभाल के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश का पक्ष	सार्वजनिक निवेश के प्रति सावधानी के पक्ष में तर्क
• **आर्थिक विकास में योगदान** : अधिक महिलाओं की रोजगार में भागीदारी से GDP तथा घरेलू आय में वृद्धि होती है। • **रोजगार सृजन** : बाल देखभाल एवं वृद्धजन देखभाल सेवाओं के विस्तार से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिनमें अधिकांश अवसर महिलाओं के लिए होते हैं। • **वृद्ध होती जनसंख्या**: भारत में वृद्धजन जनसंख्या बढ़ने के साथ संगठित देखभाल सेवाओं की आवश्यकता भी बढ़ रही है। • **वैश्विक अनुभव** : नॉर्डिक देशों तथा जापान ने बाल देखभाल सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से महिला रोजगार भागीदारी बढ़ाने में प्रगति की है।	• **राजकोषीय लागत** : सार्वभौमिक बाल देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के लिए महँगा सिद्ध हो सकता है। • **सांस्कृतिक अनुकूलता** : अनेक परिवार घर-आधारित देखभाल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। • **व्यक्तिगत विकल्प का महत्त्व** : कुछ महिलाएँ स्वयं रोजगार नहीं करना चाहती हैं। इसलिए नीतियों के माध्यम से उन पर रोजगार करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। • **गुणवत्ता संबंधी जोखिम** : उचित नियमन के अभाव में संचालित शिशु देखभाल केंद्र बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक स्तर पर बाल देखभाल सुविधाएँ**: आंगनवाड़ी केंद्रों को विस्तारित कार्यावधि के साथ आंगनवाड़ी-सह-शिशु देखभाल केंद्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसके लिए पालना योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।
- **सुरक्षित आवागमन एवं आवास** : कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित बस परिवहन तथा अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **लचीली कार्य व्यवस्था** : नए श्रम संहिताओं के अंतर्गत अंशकालिक कार्य, दूरस्थ कार्य तथा विभिन्न पालियों में कार्य जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **घरेलू जिम्मेदारियों का समान वितरण** : पुरुषों की घरेलू एवं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए पितृत्व अवकाश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घरेलू कार्यों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

- **देखभाल कार्य का आर्थिक मूल्यांकन** : PLFS से प्राप्त नए आँकड़ों का उपयोग अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों के आर्थिक मूल्यांकन के लिए उपग्रह लेखांकन तैयार करने में किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अवैतनिक योगदान का अधिक सटीक आकलन संभव होगा।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

पुष्कर मेला

संदर्भ

- राजस्थान में विश्वप्रसिद्ध पुष्कर मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया है।

परिचय

- राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नगर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊँट मेला भी कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े ऊँट एवं पशुधन मेलों में से एक है।
- हालाँकि, यह मेला केवल पशुधन व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक सांस्कृतिक महत्त्व रखता है।
- यह ग्रामीण समुदायों, पशुपालकों, कारीगरों एवं पर्यटकों को एक मंच पर लाता है तथा लोक प्रस्तुतियों, ऊँटों की सजावट, मूँछ प्रतियोगिताओं और हस्तशिल्प के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करता है।
- इस मेले का धार्मिक महत्त्व भी है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, जब हजारों श्रद्धालु पवित्र पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं।
- पुष्कर भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के लिए भी जाना जाता है। यह भगवान ब्रह्मा के कुछ प्रमुख मंदिरों में से एक है।

स्रोत: AIR

नृत्य करती बालिका की प्रतिमा का युगे युगेन भारत संग्रहालय में स्थानांतरण

संदर्भ

- मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध 'नृत्य करती बालिका' उन बहुमूल्य पुरावशेषों में शामिल है, जिन्हें आगामी युगे युगेन भारत संग्रहालय की श्रृंगार एवं अलंकरण विषयक दीर्घा में प्रदर्शित करने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

युगे युगेन भारत संग्रहालय के बारे में

- **उद्देश्य** : भारत की 5,000 वर्षों से अधिक की सभ्यतागत यात्रा को उसकी मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से प्रदर्शित करना।
- **अवस्थिति**: इस संग्रहालय का विकास नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भवनों के अनुकूली पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय** : संस्कृति मंत्रालय।
- **परियोजना की लागत** : इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है, जिसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **प्रमुख विशेषताएँ** : इस संग्रहालय को विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की योजना है।
  - इसमें भारत के इतिहास एवं सभ्यता को प्रदर्शित करने वाली आठ विषयगत दीर्घाएँ होंगी।
  - इसके प्रमुख विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य।
  - गणित एवं खगोल विज्ञान।
  - भाषाएँ एवं लिपियाँ।
  - आस्था एवं आध्यात्मिकता।
  - भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध।
  - राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान प्रदर्शनी के लिए की गई है।
  - राष्ट्रीय संग्रहालय एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में कार्य करता रहेगा, जबकि युगे युगेन भारत संग्रहालय भारत की व्यापक सभ्यतागत विरासत पर केंद्रित होगा।
- **समय-सीमा** : इस परियोजना को वर्ष 2026–27 से 2030–31 के बीच विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।
  - 'श्रृंगार एवं अलंकरण' विषय पर आधारित प्रथम दीर्घा के वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में खुलने की संभावना है।

नृत्य करती बालिका

- नृत्य करती बालिका की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध पुरातात्त्विक खोजों में से एक है।
- मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था।
- यह प्रतिमा लगभग 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
- वर्ष 1926 में उत्खनन के दौरान प्राप्त यह कांस्य प्रतिमा 10 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक ऊँची है।

- इसमें एक युवा स्त्री की आकृति दर्शाई गई है, जिसकी आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा लगभग एक शताब्दी से इतिहासकारों एवं पुरातत्त्वविदों के आकर्षण का केंद्र रही है।
- इस मूर्ति का निर्माण लुप्त मोम तकनीक से किया गया था। यह धातु ढलाई की एक विधि है, जिसका प्रयोग आज भी भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में किया जाता है।
- वर्तमान में यह मूल पुरावशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है।

क्या आप जानते हैं?

- नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा केंद्र सरकार के अन्य कार्यालय स्थित थे।
- साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय स्थित थे।
- इन मंत्रालयों को अब इंडिया गेट परिसर के निकट नवनिर्मित कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- दिल्ली की नई राजधानी का डिजाइन एवं निर्माण वर्ष 1912 से 1931 के बीच सर एडविन लुटियंस ने सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर किया था।
- नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक तथा राष्ट्रपति भवन (पूर्व में वायसराय हाउस) रायसीना हिल परिसर के प्रमुख स्थापत्य केंद्र हैं।

स्रोत: DD News

मैत्री सेतु यात्रा

संदर्भ

- भारत और श्रीलंका के बीच मैत्री एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैत्री सेतु यात्रा – भारत-श्रीलंका राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) साइकिल अभियान 2027 कोलंबो में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

मैत्री सेतु यात्रा के बारे में

- **प्रतिभागी** : इस साइकिल अभियान में कुल 24 साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। इनमें भारत के 14 तथा श्रीलंका के 10 राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के कार्मिक शामिल हैं।
- **मार्ग** : यह अभियान लगभग 75 दिनों में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोलंबो से नई दिल्ली तक पहुँचेगा।
- **श्रीलंका चरण** : अभियान के श्रीलंका चरण में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।इसमें अनुराधापुर और जाफना जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है।
- **भारत चरण** : समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने के बाद अभियान दल लगभग 3,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेगा। इस दौरान भारत के 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरेगा।
- **समापन** : इस अभियान का समापन जनवरी 2027 में नई दिल्ली में आयोजित NCC प्रधानमंत्री रैली के अवसर पर होगा।
- **आयोजक संस्थाएँ** : भारत एवं श्रीलंका के राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसे भारत के रक्षा मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है।

स्रोत: DD News

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजारों में पुनः सक्रिय हुए हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं एवं परिसंपत्तियों के मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद नवंबर माह में रिकॉर्ड 89,856 करोड़ रुपये का निवेश प्रवाह दर्ज किया गया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कोई अनिवासी व्यक्ति अथवा संस्था होती है, जो सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करती है।
- इसमें शेयर, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) जैसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- यह विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने का एक सामान्य माध्यम है।
- इसके अंतर्गत निवेशकों द्वारा किसी अन्य देश में धारित प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- इसमें कंपनियों अथवा विदेशी सरकारों द्वारा जारी बॉण्ड एवं अन्य ऋण प्रतिभूतियाँ तथा विदेशों में परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी शामिल होते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पूँजी खाते का हिस्सा** : विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश के भुगतान संतुलन के पूँजी खाते का हिस्सा होता है। भुगतान संतुलन किसी देश और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले मौद्रिक लेन-देन एवं धन के प्रवाह का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।

- **निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव** : FPI के माध्यम से निवेश करने वाला निवेशक संबंधित कंपनी अथवा प्रतिभूतियों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। निवेशक का संबंधित व्यवसाय अथवा प्रतिभूतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है।
- **अल्पकालिक प्रतिफल का उद्देश्य** : निवेशक का प्रमुख उद्देश्य अपने निवेश पर अपेक्षाकृत कम समय में प्रतिफल अर्जित करना होता है।
- **हॉट मनी** : FPI को प्रायः 'हॉट मनी' कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संकट अथवा अस्थिरता के शुरुआती संकेत मिलते ही यह तीव्रता से बाहर निकल सकता है।
- **तरलता** : FPI अपेक्षाकृत अधिक तरल निवेश होता है, हालाँकि इसकी तरलता बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करती है।

हालिया वृद्धि के कारण

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित शेयरों में संभावित मंदी की चिंताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों की ओर पुनः दृष्टिकोण किया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता, कंपनियों के बेहतर लाभ, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तथा रुपये में सुधार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।
- हालाँकि, यह निवेश प्रवाह एक अस्थायी अथवा रणनीतिक कदम भी हो सकता है, न कि निवेशकों की स्थायी वापसी।
- अधिकांश निवेश प्रवाह अपेक्षाकृत विश्वसनीय लार्ज-कैप शेयरों में केंद्रित रहा, विशेषकर बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), ऑटोमोबाइल तथा दूरसंचार क्षेत्रों में।

स्रोत: TH

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

चर्चा में क्यों?

- फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) ने सरकार से रेरा अधिनियम, 2016 में संशोधन करने का आग्रह किया है। संगठन का तर्क है कि यह अधिनियम घर खरीदारों के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने में विफल रहा है।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

- यह अधिनियम संसद द्वारा घर खरीदारों एवं रियल एस्टेट परियोजना प्रवर्तकों के बीच संविदात्मक संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **परियोजनाओं का पंजीकरण** : इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा बिक्री शुरू करने से पहले संबंधित नियामक प्राधिकरण के साथ उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रवर्तक पर नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **केंद्रीय सलाहकार परिषद** (CAC): आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श एवं अनुशंसाएँ प्रदान करना है।
- इसमें घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा भी शामिल है।
- **विवरणों का अनिवार्य प्रकटीकरण**: रेरा के अंतर्गत प्रवर्तकों के लिए परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों एवं स्वीकृतियों का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, घर खरीदारों से प्राप्त कुल राशि का 70% एक अलग बैंक खाते में जमा करना आवश्यक है। इस राशि का उपयोग केवल भूमि की लागत एवं परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है।
- **त्वरित विवाद निपटान** : रेरा विवादों के त्वरित निपटान के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मामलों का निपटान 60 दिनों के अंदर करने का प्रावधान किया गया है।
- **मुआवजा एवं वसूली** : रेरा की धारा 40 के अंतर्गत प्रवर्तक से बकाया ब्याज, जुर्माना अथवा मुआवजे की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, निर्णयन अधिकारी , नियामक प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण को आवश्यक आदेश एवं निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रस्तावित संशोधन

- **घर खरीदारों के संरक्षण की जिम्मेदारी का हस्तांतरण**: घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी उपभोक्ता मामले विभाग को सौंपने का प्रस्ताव।

- **राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना**: - अधिनियम के एकसमान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव।
- **विक्रय समझौते को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाना**: विक्रय हेतु समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं प्रवर्तनीय बनाने का प्रस्ताव।
- **खरीदारों को वैधानिक निकास विकल्प** : व्यक्तिगत कठिनाइयों की स्थिति में घर खरीदारों को परियोजना से बाहर निकलने का वैधानिक विकल्प प्रदान करना।
- **स्वत: मुआवजे का प्रावधान** : परियोजना में देरी अथवा कमियों की स्थिति में प्रत्येक आवंटी को व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता के बिना स्वत: मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव।

स्रोत : IE

■■■

NEXT IAS हिन्दी